राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः— एफ 6(260)परि/कर/मु०/2011/3743 जयपुर, दिनांकः— 25/2/22

आदेश

राज्य के बजट 2022 — 23 की घोषणा संख्या 170 के खंड (iii) के अनुसार वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट एमेन्स्टी स्कीम 2022 लाई गयी है तथा यह योजना 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रखी गयी है।

चूकिं बजट घोषणा में उद्घोषित एमनेस्टी स्कीम दो वित्तीय वर्षो 2021—22 एव 2022—23 में समाहित है, अतः परिवहन विभाग ने नष्ट हो चुके वाहनों तथा वर्तमान में संचालित वाहनों के लिए दीं जाने वाली मोटर वाहन कर, विशेष पथकर, एक बारीयकर, एक मुश्त कर, शास्ति एवं ब्याज में दी जाने वाली छूट तथा ई—रवन्ना के माध्यम से सृजित ओवरलोड मामलों में प्रशमन राशि कम किए जाने हेतु लागू की गई दोनों अधिसूचनाओं क्रमांक एफ 6(260)परि/कर/मु०/2011/2 तथा एफ7(47)परि/नियम/मु०/87/पार्ट1/5 को प्रथमतः 31.03.2022 तक ही प्रभावी किया हैं।

बजट घोषणा की पालना में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पृथक से अधिसूचनाएं यथा समय जारी की जाएंगी।

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव